तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्योनारायण बनाम शान्ति वगै०	नम्बर... अह... इस हुक... में
19.01.23	वादी संख्या 1/4 के प्रार्थना पत्र निस्तारण तक को स्वीकार कर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण व वादी स्वयं उपस्थित। वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि पक्षकारों में लोक अदालत की भावना व पांच आदमियों की समझाइश से राजीनामा हो गया है; वादी अब अपने उपरोक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है; भविष्य में विवादित भूमि खाता ख. नं 3403 रकबा 0.23 हे०, 3404 रकबा 0.02 हे०, 3405 रकबा 0.05 हे०, 3407 0.67 het., 3406 रकबा 1.64 हे०, वाके ग्राम - वजीरपुर तह० वजीरपुर से प्रार्थी (वादी) का कोई संबंध वास्ता नहीं रहेगा तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादी शान्तिदेवी पत्नि महादेव प्रसाद गर्ग एवं महादेव प्रसाद पुत्र गिरिज प्रसाद गर्ग का ही कब्जा कायम होगा, प्रार्थी वादी भविष्य में उक्त भूमि बाबत कोई आपत्ति नहीं करेगा तथा दावा विद्ड्रा करने की अनुमति चाही गई है। अन्य पक्षकारान वादी संख्या 1/1, 1/2, 1/3 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने भी इसी आशय का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.22 को न्यायालय में पेश कर दिया है। वादी संख्या 1/5 व 1/7 फौत हो चुके हैं। वादी संख्या 1/5 के वारिसान 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7 पहले से ही अभिलेख पर मौजूद हैं। वादी संख्या 1/7 की न्यायालय में	

P.T.O.

प्रस्तुत रिकार्ड (मृत्यु प्रमाण-पत्र) के आधार पर 21.4.2018 को मृत्यु हो चुकी है। वादी संख्या 1/7 की मृत्यु के तकरीबन 4 वर्ष 8 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कोई भी वारिसान न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं ना ही अन्य किसी पक्षकारान ने उनको रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया है। अतः वादी संख्या 1/7 की ओर से दावा उपशमन (Abate) किया जाता है। पत्रावली व प्रार्थना-पत्रों का अवलोकन कर शेष पक्षकारान का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर दावा विड्राल (प्रत्याहरण) की अनुमति दी जाती है। पत्रावली / दावा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।